

पंजीयन क्रमांक 1740/6.4.18

दिनांक 06.04.2018

दिसंख नं. 571

दिनांक 06.04.2018

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री काठोड़ी उत्थान संस्थान, काठोड़ी, जैसलमेर
पंजीयक काठोड़ी जिला काठोड़ी के सम्बन्ध में।
जैसलमेर जैसलमेर

चूंकि श्री श्रीमती अमका देवी (अद्वय) न्यासी (दुस्ती)
गौशाला श्री काठोड़ी उत्थान संस्थान, काठोड़ी, जैसलमेर ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूं।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) काली गई है।

आप्त दिनांक 06.04.18 माह अप्रैल वर्ष दो हजार अठारह



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर)

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....62...../जैसल/20.13-20.14.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....काठेड़ी उत्थान संस्थान

.....काठेड़ी.....जिला जैसलमेर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम

संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक.....उन्तीस.....माह.....जनवरी.....सन् दो हजार दोदह को

जैसलमेर में दिया गया।



.....
रजिस्टर संस्थाएं
जैसलमेर